रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219900
CG-DL-E-12062020-219900

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

## उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

**(उपभोक्ता मामले विभाग)**

**(भारतीय मानक ब्यूरो)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2020

**फा.सं. बीएस/11/04/2018.—**ब्यूरो की शासी परिषद, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है: अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 में, (क) वित्त सलाहकार समिति; (ख) अनुरूपता आकलन सलाहकार समिति; (ग) मानक सलाहकार समिति; (घ) परीक्षण एवं अंशांकन सलाहकार समिति; तथा (ड) उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 में, विनियम 3 में क्रम संख्या (ड) के अंत में "।" को ";" से प्रतिस्थापित किया जाए और क्रम संख्या (ड) के पश्चात, निम्नलिखित दो सलाहकार समितियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात:

(च) अनुसंधान सलाहकार समिति; और

(छ) प्रशिक्षण सलाहकार समिति।

4. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 में, विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में,

(i) खण्ड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iiक) किसी भी तीन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र से चक्रानुक्रम के आधार पर उपभोक्ता मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के सचिव या प्रधान सचिव;"

(ii) खंड (vii) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(vii) उपभोक्ता मामलों की गतिविधि से सम्बन्धित ब्यूरो का उपमहानिदेशक - सदस्य-सचिव;" ।

5. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 में, विनियम 11 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम 12 और विनियम 13 अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:

"12. अनुसंधान सलाहकार समिति की संरचना एवं कृत्य– (1) अनुसंधान सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;

(ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम संयुक्त सचिव पद या इसके समतुल्य पद का एक प्रतिनिधि:

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नई दिल्ली;

(ख) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी;

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली;

(ड़) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर;

(च) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएयशन ऑफ इंडिया, पुणे;

(छ) द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली;

(ज) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च, मुंबई;

(झ) इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नॉलजी, दिल्ली;

(ञ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली;

(ट) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ;

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(iv) ब्यूरो का वैज्ञानिक-च या वैज्ञानिक-छ (उपमहानिदेशक - नीति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) – सदस्य सचिव

(2) अनुसंधान सलाहकार समिति निम्नलिखित पर सलाह देगी –

IndiaCode

(i) मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों से संबंधित नीतिगत मामले;

(ii) अनुसंधान से संबंधित मामलों पर देश के भीतर एवं बाहर संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग;

(iii) मूल्यांकन/प्रभाव आकलन अध्ययन और सर्वेक्षणों सहित अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं नियोजित करने;

(iv) अनुसंधान से संबंधित अन्य मामले।

13. **प्रशिक्षण सलाहकार समिति की संरचना एवं कृत्य** - (1) प्रशिक्षण सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;

(ii) निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम संयुक्त सचिव पद या इसके समतुल्य पद का एक प्रतिनिधि –

(क) लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए), मसूरी;

(ख) द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्टिरयल ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट (आईएसटीएम), नई दिल्ली;

(ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), नई दिल्ली;

(घ) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई), ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली;

(ड़) नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टमस्, इनडायरेक्ट टैक्स एण्ड नारकोटिक्स, फरीदाबाद;

(च) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ (नोएडा सेंटर);

(छ) मैनेजमेंट डिवलप्मेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) गुडगांव;

(ज) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व़विद्यालय (आईजीएनओयू), नई दिल्ली;

(झ) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद;

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(iv) ब्यूरो का वैज्ञानिक-च या वैज्ञानिक-छ (उपमहानिदेशक - नीति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) – सदस्य सचिव

(2) अनुसंधान सलाहकार समिति निम्नलिखित पर सलाह देगी –

(i) भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डरो के प्रशिक्षण संबंधित नीतिगत मामले;

(ii) प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर देश के भीतर एवं बाहर संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग;

(iii) क्षमता निर्माण से संबंधित अन्य मामले।"

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) कुमार शांतनु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./52/2020-21]

**नोट:** मूल विनियम फा.सं. बीएस/11/04/2018 दिनांक 07 जून 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात फा.सं. बीएस/11/04/2018 दिनांक 12 अक्तूबर 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

IndiaCode

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Consumer Affairs)**

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2020

**F. No. BS/11/04/2018**.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Governing Council of the Bureau, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, the chairman and members of (a) Finance Advisory Committee; (b) Conformity Assessment Advisory Committee; (c) Standards Advisory Committee; (d) Testing and Calibration Advisory Committee; and (e) Consumer Affairs Advisory Committee are reappointed for a further period of two years.

3. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, in regulation 3, the "." at the end of serial number (e) is to be replaced by the ";" and after serial number (e), the following two advisory committees shall be added, namely:

(f) Research Advisory Committee; and

(g) Training Advisory Committee.

4. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, in regulation 8, in sub-regulation (1),

(i) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iia) Secretaries or Principal Secretaries of the Department having administrative control over Consumer Affairs of any three States or Union territories on rotational basis;"

(ii) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vii) Deputy Director General of the Bureau dealing with the Consumer Affairs activity - Member-Secretary;"

5. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, after regulation 11, the following regulation 12 and regulation 13 shall be added, namely:

"**12. Composition and Functions of Research Advisory Committee.** – (1) The Research Advisory Committee shall consist of the following members, namely:

(i) Director General of the Bureau – Chairman;

(ii) One representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following:

(a) Department of Science & Technology (DST), New Delhi;

(b) Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani;

(c) Indian Institute of Technology, Roorkee;

(d) Indian Agricultural Research Institute, New Delhi;

(e) Central Food Technological Research Institute, Mysore;

(f) Automotive Research Association of India, Pune;

(g) The Energy Resource Institute (TERI), New Delhi;

(h) Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai;

(i) Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi;

(j) Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi;

(k) Indian Institute of Management, Ahmedabad or Indian Institute of Management, Lucknow;

(iii) Any other member as nominated by Chairman;

(iv) Scientist F or Scientist G (Deputy Director General - Policy, Research & Training) of the Bureau - Member Secretary.

(2) The Research Advisory Committee shall advise on

(i) policy matters relating to research activities on standardization, conformity assessment and other related activities;

(ii) collaboration with institutions/organizations within the country and abroad on matters relating to research;

(iii) promoting and planning research including evaluation/impact assessment studies and surveys; and

(iv) other matters relating to research.

**13. Composition and Functions of Training Advisory Committee.** – (1) The Training Advisory Committee shall consist of the following members, namely:

(i) Director General of the Bureau – Chairman;

(ii) One representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following:

(a) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie;

(b) The Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), New Delhi;

(c) National Skill Development Corporation(NSDC), New Delhi;

(d) National Power Training Institute(NPTI), Ministry of Power, New Delhi;

(e) National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics, Faridabad;

(f) Indian Institute of Management (IIM), Lucknow (Noida Centre)

(g) Management Development Institute (MDI), Gurgaon

(h) Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi;

(i) Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad;

(iii) Any other member as nominated by Chairman;

(iv) Scientist F or Scientist G (Deputy Director General -Policy, Research & Training) of the Bureau - Member Secretary

(2) The Training Advisory Committee shall advise on

(i) policy matters relating to training of BIS employees and other stakeholders;

(ii) collaboration with organizations/institutions within the country and abroad on matters relating to training; and

(iii) other matters relating to capacity building."

Lt Col (Retd.) KUMAR SHANTANU, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./52/2020-21]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide F.No. BS/11/04/2018 dated the 7th June, 2018 and subsequently amended vide F.No. BS/11/04/2018 dated the 12th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.12 19:25:45 +05'30'